न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0–1, मुरादाबाद
जमानत प्रार्थना पत्र सं0–   ／2022

CNR No-UPMO040497592022

<u>जमानत आदेश</u>

22.07.2022:–

मु0अ0सं0–233／2022, अंतर्गत धारा–363,366 भा0दं0सं0, थाना भोजपुर, जिला मुरादाबाद में अभियुक्त नब्बू पुत्र वाहिद हुसैन की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है।

प्रार्थी／अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है तथा उसे पुलिस द्वारा रंजिशन झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी ने उक्त प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है, जैसाकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शाया गया है। प्रार्थी अपनी जमानत देने को तैयार है। प्रार्थी अपनी जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः उसके द्वारा जमानत की याचना की गयी है।

सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का प्रबल विरोध किया गया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध गैर–जमानतीय, गम्भीर प्रकृति एवं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियुक्त की जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है। तदनुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त नब्बू पुत्र वाहिद हुसैन का जमानत प्रार्थना पत्र मु0अ0सं0–233／2022, अंतर्गत धारा–363,366 भा0दं0सं0, थाना भोजपुर, जिला मुरादाबाद खारिज किया जाता है।

(मुकीम अहमद)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं0–1, मुरादाबाद।
J.O. CODE-UP2110